दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय दिया गयाः 12 सितंबर 2023

वि.अ. (कु.न्या.) 199/2019

पल्लवी मोहन उर्फ़ पल्लवी मेनन ....अपीलार्थी

बनाम

रघु मेनन ....प्रत्यर्थीगण

इस मामले में पेश हुए अधिवक्तागण:

अपीलार्थी के लिएः श्री विनीत झांजी और श्री इमरान मौले, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी के लिएः सुश्री सुमन अरोड़ा, अधिवक्ता।

निर्णय

कोरमः-

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा

माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास महाजन

न्या. संजीव सचदेवा

1. अपीलार्थी ने प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय साकेत द्वारा पारित दिनांक 11.04.2019 के निर्णय पर आक्षेप किया है जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद हि.वि.आ. के रूप में संदर्भित) की धारा 13(1)(झक) के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर तलाक याचिका को अनुमति दी गई है।

2. प्रत्यर्थी ने एक प्रारंभिक आपत्ति जताई कि यह अपील परिसीमा से वर्जित है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि यह

अपील कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत दायर की गई है इसलिए यह उक्त अधिनियम की धारा 19(3) के तहत प्रावधान किए गए 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए थी।

3. इसके विपरीत, अपीलार्थी का तर्क यह है कि अपील हि.वि.आ. की धारा 28 के तहत दायर की गई है, जिसमें निर्धारित परिसीमा की अवधि 90 दिन है।

4. विचारण हेतु प्रश्न यह उठता है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के *अधीन कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की परिसीमा की अवधि क्या है?*

5. वर्तमान मामले में केवल प्रारंभिक आपत्ति की दलीलें सुनी गईं न कि गुणागुण के आधार पर और इस प्रकार मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को केवल पक्षों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों का संदर्भ देने के लिए संदर्भित किया जा रहा है।

6. नई दिल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार दिनांक 19.05.2002 को पक्षकारगण के बीच विवाह संपन्न हुआ और इस विवाह से दो बेटियों का जन्म हुआ।

7. पक्षगण के बीच मतभेद और विवाद उत्पन्न हुए और मार्च 2015 में किसी समय प्रत्यर्थी/पति ने गुड़गांव में एक अलग आवास लिया और दिनांक 10.07.2015 को प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय साकेत के समक्ष विषयगत याचिका दायर की जिसमें हि.वि.आ. की धारा 13(1)(झक) के तहत क्रूरता के

आधार पर तलाक की मांग की गई।

8. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय साकेत, नई दिल्ली ने 11.04.2019 को तलाक याचिका को अनुमति दे दी और तलाक की डिक्री पारित कर दी गई। वर्तमान अपील उक्त आदेश से उत्पन्न हुई है।

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपील हि.वि.आ. की धारा 28 के तहत दायर की गई है और हि.वि.आ. की धारा 28(4) उक्त अधिनियम के तहत दी गई डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए 90 दिनों की परिसीमा अवधि निर्धारित करती है।

10. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि शुरू में हि.वि.आ. की धारा 28 के तहत भी अपील दायर करने के लिए निर्धारित अवधि तीस दिन थी, लेकिन उक्त प्रावधान को 2003 के अधिनियम 50 द्वारा संशोधित किया गया था और अवधि को बढ़ाकर नब्बे दिन कर दिया गया था। उनका कहना है कि यह संशोधन *सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे (2002) 2 एससीसी 73* मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया गया था।

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह कहा है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 में सर्वोपरि खंड वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू होने के बाद हि.वि.अ. में संशोधन किया गया था। उसने प्रस्तुत किया कि धारा 20 में प्रयुक्त सर्वोपरि खंड *"तत्समय लागू होने वाले*

किसी भी अन्य कानून" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, जो अधिनियम अधिसूचित होने पर लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून को लागू करेगा और बाद में लागू होने वाले किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा।

12. विद्वान अधिवक्ता ने *बैंक ऑफ इंडिया बनाम केतन पारेख और अन्य (2008) 8 एससीसी 148* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है कि बाद के अधिनियम में सर्वोपरि खंड मान्य होगा।

13. *इसके विपरीत* प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 एक सर्वोपरि खंड से शुरू होती है और उक्त अधिनियम में निहित ऐसे प्रावधान हि.वि.अ. में निहित किसी भी असंगत प्रावधान को अध्यारोहित कर देंगे।

14. वह आगे यह भी प्रस्तुत करती है कि *"तत्समय लागू कोई अन्य कानून"* अभिव्यक्ति को उस समय के संदर्भ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए जब संबंधित अधिनियम लागू किए गए थे, बल्कि उस समय के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जब असंगत प्रावधान लागू किये जाने हैं।

15. उपरोक्त संदर्भ में हम अब संबंधित वैधानिक प्रावधानों की जांच कर सकते हैं।

16. हि.वि.अ. की धारा 28 इस प्रकार है:

> *"28. डिक्रियों और आदेशों की अपीलें- <u>इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियाँ</u>, उपधारा (3) के उपबंधों के*

अधीन रहते हुए उसी प्रकार अपीलनीय होंगी जैसे न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीलनीय होती हैं और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं। कुटुंब न्यायालय अधिनियम दिनांक 18.11.1986 की अधिसूचना के माध्यम से 19.11.1986 को दिल्ली में लागू हुआ।

(2) धारा 25 या धारा 26 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तभी अपीलनीय होंगे जब वे अंतरिम आदेश न हों और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं।

(3) केवल खर्चे के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी।

(4) <u>इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख से (नब्बे दिन की कालावधि) के अंदर की जाएगी।</u>"

(रेखांकित पर जोर दिया गया)

17. हि.वि.अ. की धारा 28(1) और (2) यह प्रावधान करती है कि किसी भी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दिए गए सभी डिक्री और आदेश (अंतरिम आदेशों के अलावा) उस न्यायालय में अपील करने योग्य होंगे जहां मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में न्यायालय के दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है।

18. हि.वि.अ. की धारा 28(4) अपील दायर करने के लिए नब्बे दिन की अवधि का प्रावधान करती है।

19. कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 का संदर्भ लिया जा सकता है जो निम्नानुसार है:

> "19. अपील- *(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या आदेश की, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील उच्च न्यायालय में तथ्यों और विधि, दोनों के संबंध में होगी।*
>
> *(2) कुटुंब न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति से पारित [किसी डिक्री या आदेश की या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश की कोई अपील नहीं होगी : परन्तु इस उपधारा की कोई बात कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ के पूर्व किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी अपील या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश को लागू नहीं होगी ।]*
>
> *(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, किसी कुटुंब न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।*
>
> *(4) उच्च न्यायालय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, ऐसी किसी कार्यवाही का, जिसमें उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित कुटुंब न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन कोई आदेश पारित किया है, अभिलेख, उस आदेश को, जो अन्तर्वर्ती आदेश न हो, तथ्यता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है।]*

(5) जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय, किसी कुटुंब न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री की किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा।

(6) <u>उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अपील की सुनवाई दो या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ द्वारा की जाएगी।</u>

(रेखांकित पर जोर दिया गया)

20. कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 में कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या आदेश, जो कि अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, से तथ्यों और विधि दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। धारा 19(6) में प्रावधान है कि अपील की सुनवाई दो या अधिक न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा की जाएगी।

21. धारा 19(3) अपील दायर करने के लिए तीस दिन की अवधि निर्धारित करती है।

22. कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 का संदर्भ लिया जा सकता है जो निम्नानुसार है:

"20. *अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना-* *इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में तद्संगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगें।"*

23. कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में निहित

किसी भी असंगत प्रावधान को अध्यारोहित कर देंगे।

24. स्पष्ट रूप से, हि.वि.अ. की धारा 28 जो अपील दायर करने के लिए 90 दिनों की अवधि निर्धारित करती है और कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 जो अपील दायर करने के लिए 30 दिनों की अवधि निर्धारित करती है, के बीच एक असंगतता है। सवाल यह है कि कौन-सी लागू होगी?

25. इस अवसर पर एक केवियट प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ राज्यों में कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकारों ने कुटुंब न्यायालय नहीं बनाए हैं। उन क्षेत्रों के संबंध में कोई असंगति नहीं होगी और अपील दायर करने के लिए हि.वि.अ. की धारा 28 के तहत निर्धारित अवधि यानी 90 दिन लागू होगी।

26. सावित्री पांडे (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है जिसके कारण हि.वि.अ. द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि में संशोधन हुआ। उक्त निर्णय का पैरा 19 निम्नानुसार है:

> *"19. इस स्तर पर हम यह देखना चाहेंगे कि धारा 28(4) के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है जो बेईमान वादी पति-पत्नी द्वारा विवाह की निष्फलता को बढ़ावा देती है। हमारे जैसे विशाल देश में, अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां सामान्यत जिला न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं और उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर करनी होती है। दूरी, भौगोलिक परिस्थितियों, पक्षकारों की वितीय स्थिति और नियमित अपील दायर करने के लिए अपेक्षित समय, यदि ध्यान में रखा जाए, तो निश्चित रूप से यह दर्शाएगा कि अपील दायर करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की अवधि कम और*

अपर्याप्त है। अपील के न होने पर, दूसरा पक्ष विवाह संपन्न करा सकता है और दूसरे पक्ष के अपील के अधिकार को विफल करने का प्रयास कर सकता है जैसा कि इस मामले में किया गया यह प्रतीत होता है। हमारी राय है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए न्यूनतम 90 दिनों की अवधि निर्धारित की जा सकती है और उपरोक्त अवधि के दौरान हुआ कोई भी विवाह निरर्थक माना जाएगा। इस संबंध में समुचित विधान बनाए जाने की आवश्यकता है। हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि इस निर्णय की प्रति विधि एवं न्याय मंत्रालय को ऐसी कार्रवाई के लिए भेजी जाए जो वह इस संबंध में उचित समझे।"

27. *सावित्री पांडे (पूर्वोक्त)* में उक्त निर्णय के अनुसरण में, हि.वि.अधि. और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में एक संशोधन लाया गया था और न्यायालय के आदेश या डिक्री से अपील दायर करने की अवधि को नब्बे दिनों तक बढ़ा दिया गया था। तथापि, यह देखा जा सकता है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम में कोई संबंधित संशोधन नहीं किया गया है और कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 द्वारा निर्धारित अवधि तीस दिन की ही है।

28. हि.वि.अ. की धारा 19 में यह प्रावधान है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत हर याचिका जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 3(ख) द्वारा जिला न्यायालय को एक नगर सिविल न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है जहां एक नगर सिविल न्यायालय है और अन्य क्षेत्रों के लिए मूल क्षेत्राधिकार का प्रमुख सिविल न्यायालय है।

29. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28 न्यायालय द्वारा पारित आदेश या

डिक्री के विरुद्ध अपील का प्रावधान करती है और अपील उसी न्यायालय में होती है जिस न्यायालय द्वारा अपना मूल सिविल क्षेत्राधिकार प्रयोग करते हुए दिए गए निर्णय के आधार पर अपील की जाती है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 28 में न्यायालय के संदर्भ का तात्पर्य हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट जिला न्यायालय से है।

30. हालांकि, कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 के सहपठित धारा 7 हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों को अध्यारोहित करती है और इस प्रकार उन क्षेत्रों में जहां राज्य सरकार ने कुटुंब न्यायालय की स्थापना की है वहां याचिका कुटुंब न्यायालय के समक्ष दायर की जानी चाहिए न कि जिला न्यायालय के समक्ष। हालांकि यह देखा जा सकता है कि कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश भी जिला न्यायाधीशों के समान रैंक के होते हैं लेकिन उन्हें कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदनामित किया जाता है।

31. कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक आदेश और निर्णय से उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करती है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19(6) में कहा गया है कि अपील की सुनवाई दो या दो से अधिक न्यायाधीशों की न्यायपीठ (जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों को छोड़कर) द्वारा की जाएगी।

32. स्पष्ट रूप से हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28 और कुटुंब न्यायालय

अधिनियम की धारा 19 अलग-अलग क्षेत्रों में लागू होती हैं और विभिन्न मंचों यानी क्रमशः जिला न्यायालय और कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर लागू होती हैं।

33. इस प्रकार जिला न्यायालय के अपील योग्य आदेश और डिक्री से अपील दायर करने की परिसीमा की अवधि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत नब्बे दिन होगी और कुटुंब न्यायालय जहां भी स्थापित किया गया हो के अपील योग्य आदेश और निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने की परिसीमा अवधि, कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत तीस दिन होगी।

34. वर्तमान समय में हम सम्मानपूर्वक इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने यह विचार किया है कि कुटुंब न्यायालय के अपील योग्य आदेशों और निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने की परिसीमा नब्बे दिन होगी।

35. *वि.अ. (परि.न्या.) 142/2020* शीर्षक वाले *संदीप अग्रवाल बनाम प्रियंका अग्रवाल* में समन्वय पीठ के दिनांक *20.07.2021* के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें पीठ ने *शिवराम डोडन्ना शेट्टी बनाम शर्मिला शिवराम शेट्टी 2016 एससीसी ऑनलाइन बॉम 9844* में बॉम्बे में उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का अनुसरण किया और कहा कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28 के अधीन होगी

और इस प्रकार कुटुंब न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने की सीमा अवधि 90 दिन होगी।

36. बॉम्बे उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दोनों अधिनियमों के बीच कोई स्पष्ट असंगति नहीं थी और जहां दोनों विशेष कानूनों में एक सर्वोपरि खंड था तो अधिनियम के प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस विरोध का समाधान करने की आवश्यकता है।

37. हम उपर्युक्त निर्णयों से सम्मानपूर्वक असहमत हैं। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से हम *सावित्री पांडे (पूर्वोक्त)* में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं जिसमें विधि एवं न्याय मंत्रालय को कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया गया है कि अपील दायर करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की अवधि कम और अपर्याप्त है। हालाँकि, कानूनों में संशोधन करना संसद का काम था।

38. विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 50/2003) द्वारा हि.वि.अ और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन किया गया और अवधि को तीस दिन से बढ़ाकर नब्बे दिन कर दिया गया। हालाँकि, कुटुंब न्यायालय अधिनियम में कोई संबंधित संशोधन नहीं किया गया है।

39. आम तौर पर एक नियम के रूप में, यदि किसी न्यायालय की एक समन्वय पीठ किसी अन्य समन्वय पीठ के निर्णय से असहमत होती है तो उसे

प्रमाणिक निर्णय के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेजना पड़ता है। हालाँकि, मौजूदा मामले में हम किसी बड़ी पीठ का संदर्भ नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान *अरुणोदय सिंह बनाम ली ऐनी एल्टन शीर्षक वाली विशेष अनुमति याचिका (सि) सं. 10751/2021* में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23.07.2021 के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन पारित तलाक की डिक्री के संबंध में अपील दायर करने के लिए परिसीमा की अवधि पर विचार कर रहा था।

40. अरुणोदय सिंह (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

> *"16. हालांकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 (3) के लिए कुटुंब न्यायालय के निर्णय या आदेश से प्रत्येक अपील को 30 दिनों के भीतर दायर कर दिया जाना चाहिए। कुटुंब न्यायालय अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होते हैं।*
>
> *17. कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19(3) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 39(4) या परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 116 की तुलना में परिसीमा की एक लघु अवधि प्रदान करती है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम तथा परिसीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित अपील दायर करने की परिसीमा की अवधि के बीच असंगति है।*
>
> *18. कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 के सर्वोपरि प्रावधान के कारण,*

जो कुटुंब न्यायालय अधिनियम को अधिभावी प्रभाव देता है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम के तहत गठित कुटुंब न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की परिसीमा अवधि 30 दिन होगी न कि 90 दिन। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने पाया कि अपील दायर होने में देरी हुई, भले ही अपील 90 दिनों के भीतर दायर की गई थी।"

41. *अरुणोदय सिंह (पूर्वोक्त)* मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत तीस दिन के भीतर अपील दायर करनी होती है यद्यपि यह विशेष विवाह अधिनियम की तुलना में सीमा की एक लघु अवधि का प्रावधान करता है और कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 20 का सर्वोपरि प्रावधान कुटुंब न्यायालय अधिनियम को अध्यारोही प्रभाव देता है और इस प्रकार कुटुंब न्यायालय अधिनियम के तहत गठित एक कुटुंब न्यायालय के निर्णय और आदेश से अपील दायर करने की सीमा की अवधि 30 दिन होगी न कि 90 दिन। *अरुणोदय सिंह (पूर्वोक्त)* में उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होगी।

42. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने *बैंक ऑफ इंडिया बनाम केतन पारेख (पूर्वोक्त)* मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर यह तर्क देने के लिए भरोसा जताया कि *अरुणोदय सिंह (पूर्वोक्त)* में निर्धारित कानून के मद्देनजर और *दिल्ली नगर निगम बनाम प्रेम चंद गुप्ता (2000) 10 एससीसी 115* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर बाद के अधिनियम में सर्वोपरि खंड

लागू होगा यह गलत है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि वाक्यांश *"तत्समय लागू होने वाले नियम"* का अर्थ समय-समय पर लागू होने वाले नियम हैं न कि किसी निश्चित समय पर लागू होने वाले नियम। इसका दायरा और परिधि केवल उस समय तक सीमित नहीं की जा सकती जब विनियमों को प्रख्यापित किया गया था।

43. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रारंभिक आक्षेप का निपटान यह मानते हुए किया जाता है कि कुटुंब न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की परिसीमा की अवधि तीस दिन है। हालाँकि, पर्याप्त कारण दिखाने के लिए, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ किया जा सकता है।

44. वर्तमान मामले में, कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 द्वारा निर्धारित तीस दिनों की समाप्ति के बाद अपील 49 दिनों की देरी से दायर की गई है।

45. संदीप अग्रवाल (पूर्वोक्त) में समन्वय पीठ के अलग-अलग दृष्टिकोण और *अरुणोदय सिंह (पूर्वोक्त)* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर अपीलार्थी को देरी की माफी मांगने के लिए एक उपयुक्त आवेदन दायर करने का अवसर दिया जाता है। यदि सलाह दी जाती है तो आज से 15 दिनों के भीतर इसे दायर किया जाए।

46. निर्देशों के लिए रोस्टर पीठ के समक्ष अपील को 16.10.2023 को सूचीबद्ध करें।

47. कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत दस्ती का आदेश दें।

न्या. संजीव सचदेवा

न्या. विकास महाजन

12 सितंबर, 2023

एचजे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*